रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10072026-274340
CG-MH-E-10072026-274340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436] **नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948**
No. 436] **NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 3 जुलाई, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/309.— भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30(1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक) विनियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक) विनियम, 2000 में,-

   I. विनियम 3(3) में, शब्द "दूसरी अनुसूची में दी हुई फीस लगाई जाएगी और" हट जाएंगे;

   II. दूसरी अनुसूची में,

i. खंड (1) में,

क. अंक तथा शब्दों "2500 अमरीकी डॉलर" के स्थान पर चिह्न, शब्द तथा अंक ", किसी भी देश की ऐसी मुद्रा में जो स्वीकार्य हो रु.2,30,000 के बराबर की रकम" आ जाएंगे; और

ख. शब्दों तथा चिह्न "अभिहित निक्षेपागार सहभागी के पास पॉर्म प्रस्तुत करते समय," के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने से पहले, डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (अभिहित निक्षेपागार सहभागी) के पास" आ जाएंगे ।

ii. खंड (2) में, अंक तथा शब्दों "100 अमरीकी डॉलर की नवीकरण फीस" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "फीस (रिनुअल फीस / रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने हेतु अदा की जाने वाली फीस) के तौर पर, किसी भी देश की ऐसी मुद्रा में जो स्वीकार्य हो रु.9,000 के बराबर की रकम" आ जाएंगे;

iii. खंड (5) में,

क. अंक तथा शब्दों "5 अमरीकी डॉलर" के स्थान पर चिह्न, शब्द तथा अंक "किसी भी देश की ऐसी मुद्रा में जो स्वीकार्य हो रु.500 के बराबर की रकम" आ जाएंगे; और

ख. शब्दों तथा अंक "अधिक से अधिक 150 अमरीकी डॉलर" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "किसी भी देश की ऐसी मुद्रा में जो स्वीकार्य हो अधिक से अधिक रु.15,000 के बराबर की रकम" आ जाएंगे ।

iv. खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(6) प्रत्येक डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (अभिहित निक्षेपागार सहभागी) विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों से ली गई फीस भारतीय रुपये में बोर्ड के पास उसी प्रकार जमा कराएगा, जैसा नीचे बताया गया है:

(क) पहली बार लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन के मामले में, विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर फीस जमा करते समय उस फॉर्मेट में ब्यौरे भी प्रस्तुत कर दिए जाएँ, जो समय-समय पर निर्धारित किया जाए;

(ख) रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अगले ब्लॉकों हेतु अदा की जाने वाली फीस (रिनुअल फीस / रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने हेतु अदा की जाने वाली फीस) के मामले में या फीस अदा करने में हुई देरी हेतु अदा की जाने वाली फीस के मामले में, डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट को जिस तारीख को वह फीस प्राप्त हो उस तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर फीस जमा करते समय उस फॉर्मेट में ब्यौरे भी प्रस्तुत कर दिए जाएँ, जो समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।"

अमित प्रधान,कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./205/2026-27]

टिप्पणी:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 [का.आ. सं. 832 (अ)] 15 सितम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2025 (अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/280) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN VENTURE CAPITAL INVESTORS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/LAD-NRO/GN/309.— In exercise of the powers conferred by Section 30(1) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the one hundred eightieth day from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, –

   I. In regulation 3(3), the words “by the fee specified in the Second Schedule and” shall be omitted;

   II. in the Second Schedule,

      i. in Clause (1),

         a. the words and symbols “$2500” shall be substituted with the words and symbols “Rs. 2,30,000 in eligible foreign exchange equivalent”; and

         b. the words “at the time of submission of the Form” shall be substituted with the words “prior to the grant of certificate of registration”.

      ii. in Clause (2), the words and symbols “$100” shall be substituted with the words and symbols “Rs. 9,000 in eligible foreign exchange equivalent”;

      iii. in Clause (5),

         a. the words and symbols “$5” shall be substituted with the words and symbols “Rs. 500 in eligible foreign exchange equivalent”; and

         b. the words and symbols “$150” shall be substituted with the words and symbols “Rs. 15,000 in eligible foreign exchange equivalent”.

iv. Clause (6) shall be substituted with the following, namely, -

"(6) Every designated depository participant shall remit the fees collected from the foreign venture capital investors in INR to the Board in the following manner:

(a) in the case of initial registration, within five working days from the date of grant of certificate of registration to the foreign venture capital investor, along with the details in the format, as may be specified from time to time;

(b) in the case of renewal fees paid for subsequent blocks after registration or any late fees, within five working days from the date of receipt of such fees by the designated depository participant, along with the details in the format, as may be specified from time to time."

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./205/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000 was published in the Gazette of India on September 15, 2000 vide S.O. No. 832 (E) and was last amended by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2025 vide Notification No. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/280.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.10 15:50:38 +05'30'